



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 3001 वर्ष 2026

श्रीमती बलवंती
याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उप जिला मजिस्ट्रेट और 3 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : इंद्र जीत यादव, समर नाथ यादव
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सीएससी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

- मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।
- इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई एकमात्र राहत यह है कि संबंधित प्रतिवादी को मामला संख्या T202414360108007 का शीघ्रता से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
- इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को सूचित करना और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखना उचित नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादियों को आदेश से असंतुष्ट है, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
- रिकॉर्ड की जांच से यह स्पष्ट होता है कि पूरी याचिका में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है जिससे किसी असाधारण परिस्थिति का जिक्र हो, और न ही याचिकाकर्ता के वकील ने निचली अदालत को उक्त मामले का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने का निर्देश देने के लिए कोई तर्क दिया है, सिवाय इसके कि मुकदमा वर्ष 2024 में दायर किया गया है।
- उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती। हालांकि, निचली अदालत से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त मामले का फैसला कानून के अनुसार ही करे और किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन न दे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
- उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका का निस्तारण किया जाता है।

19 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"